

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2014/1242

दिनांक : 29-09-2014


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2014 के पद क्रमांक (01) के निर्णयानुसार गुरुकुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दतिया को सत्र 2011-12 एवं 2012-13 के लिए प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-


1. महाविद्यालय के पास 28(17) के अंतर्गत एक भी शिक्षक नियुक्त नहीं है। महाविद्यालय तीन माह के अंदर 28(17) के अंतर्गत प्राचार्य, शैक्षणिक स्टॉफ, लाइब्रेरियन, स्पोर्ट ऑफिसर की नियुक्ति अनिवार्यतः करें अन्यथा अगले सत्र में महाविद्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित रहेंगे। उपरोक्त अनुमति माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य एवं छात्रहित में अंतिम बार प्रदान की जा रही है। नियुक्तियाँ कर शपथ पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय को अवगत कराया जावे।
2. कम्प्यूटर लैब में पाँच नये कम्प्यूटर क्रय किये जावे।
3. एन.एस.एस. इकाई की स्थापना की जावे।
4. शिक्षकों को वेतन चैक के माध्यम से दें।
5. 25,000/- की पुस्तकें क्रय करें।
6. परिनियम 27 एवं 28 का पालन करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, गुरुकुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दतिया।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)